

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 82]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 मार्च 2024—फाल्गुन 23, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2024

क्रमांक CT/4/2/0001/2023-Sec-1-05(CT)(07) : चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक 20), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का क्रमांक 74), मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (1976 का क्रमांक 52) (निरसित), मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (2011 का क्रमांक 11) (निरसित) के अन्तर्गत ऐसे समस्त अपील प्रकरण जो अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं तथा दिनांक 28 फरवरी, 2025 या इसके पूर्व तक निर्वर्तन किया जाना है, जो अपीलीय प्राधिकारी के समस्त प्रयासों के बावजूद समय-सीमा में निर्वर्तित नहीं किये जा सकते हैं, ऐसे अपीलों के निर्वर्तन के लिए न्याय की दृष्टि से अपीलीय प्राधिकारी को सक्षम करने के उद्देश्य से, ऐसी अपीलों के निराकरण की समय-सीमा बढ़ायी जानी आवश्यक है।

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक 20) की धारा 46 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक अपील जो मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक 20) की धारा 46 की उपधारा (8) के खण्ड (क) या उपधारा (9) के प्रावधानों के अनुसार 28 फरवरी, 2025 या उसके पूर्व तक निर्वर्तित किया जाना है, के निर्वर्तन की समय-सीमा 31 मार्च, 2025 तक बढ़ायी जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वंदना शर्मा, उपसचिव.

क्रमांक CT/4/2/0001/2023-Sec-1-05(CT)

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2024

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT/4/2/0001/2023-Sec-1-05(CT)(07), दिनांक 13 मार्च, 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चंदना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 13<sup>th</sup> March 2024

**No CT/4/2/0001/2023-Sec-1-05(CT)(07) :** Whereas, the State Government is satisfied that all such appeals under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No 20 of 2002), the Central Sales Tax Act, 1956 (No 74 of 1956), the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No 52 of 1976) (repealed), the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Avam Vigyapan kar Adhinyam, 2011 (No.11 of 2011) (repealed) which are pending before Appellate Authorities and have to be disposed off by the end of 28<sup>th</sup> February, 2025 or before, cannot be disposed off within the time limit, despite all possible efforts being made by the Appellate Authorities and that in order to enable the Appellate Authorities to dispose off such appeals, it is necessary in the interest of justice that the time limit for the disposal of such appeals should be extended.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (9) of section 46 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No 20 of 2002), the State Government, hereby, **extends time limit upto 31<sup>st</sup> March, 2025**, for disposal of every such appeal under the said Acts, which have to be disposed off by 28<sup>th</sup> February, 2025 or before as per provisions of clause (a) of sub-section (8) or sub-section (9) of section 46 of the Madhya Pradesh VAT Act, 2002 (No. 20 of 2002).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.